

पत्रांक- 1553 /राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड / जी0एस0टी0-अनुभाग / 2017-18 / दे0दून

कार्यालय:- राज्य कर आयुक्त  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

दिनांक:: 30 :: 06 :: 2017

### कार्यालय आदेश


#### उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन उचित अधिकारी को कार्यों का आवंटन

उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 6 वर्ष, 2017) की धारा-5 की उपधारा (1) एवं उपधारा (3) सपटित धारा-2 की उपधारा (91) एवं तद्वीन बनाये गये नियमों के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, धारा-2 की उपधारा (91) में यथा परिभाषित उचित अधिकारी के रूप में निम्न अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित विभिन्न कार्यों को निम्न वर्णित अनुसूची के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट उचित अधिकारियों को निष्पादन हेतु एतद्वारा आवंटित करता हूँ। स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट प्राधिकारियों को आवंटित कार्यों का निष्पादन उनके द्वारा मात्र अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत किया जायेगा जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो।

### अनुसूची

क्र० सं०	धाराएं	उचित अधिकारी का पदनाम
1	2	3
1	67(1), 67(2), 67(7) का परन्तुक, 71(1), 107(2), 108	राज्य कर अपर आयुक्त, राज्य कर संयुक्त आयुक्त
2	67(8)	राज्य कर अपर आयुक्त राज्य कर संयुक्त आयुक्त राज्य कर उपायुक्त
3	69(1), 141(1), 141(2), 142(12), 159(1)	राज्य कर संयुक्त आयुक्त
4	52(12), 52(14), 112, 113(3), 132(6), 134, 159(1)	राज्य कर संयुक्त आयुक्त राज्य कर उपायुक्त
5	66(1), 66(2), 66(6), 126(5), 153	राज्य कर संयुक्त आयुक्त राज्य कर उपायुक्त राज्य कर सहायक आयुक्त
6	35(6), 51(7), 54(11), 60(1), 60(3), 65, 70(1), 73(1), 73(2), 73(3), 73(5), 73(6), 73(7), 73(9), 73(10), 74(1), 74(2), 74(3), 74(5), 74(6), 74(7), 74(9), 74(10), 75(2), 75(5), 75(6), 75(8), 76(2), 76(3), 76(6), 76(8), 78, 79(1), 79(3), 81 का परन्तुक, 84, 88(2), 88(3), 90, 122, 123, 124, 125, 127, 129(6), 129(6) का परन्तुक, 161,	राज्य कर संयुक्त आयुक्त राज्य कर उपायुक्त राज्य कर सहायक आयुक्त राज्य माल एवं सेवा कर अधिकारी

7	10(5), 54(4), 54(5), 54(7), 54(10), 56, 60(2), 61(3), 62(1), 62(2), 63, 64(1), 67(9), 67(10), 67(11), 68(3), 154	राज्य कर उपायुक्त राज्य कर सहायक आयुक्त राज्य माल एवं सेवा कर अधिकारी
8	54(6), 107,	राज्य कर उपायुक्त राज्य कर सहायक आयुक्त
9	30(1), 30(2), 79(4), 126(6),	राज्य कर उपायुक्त
10	25, 27(1) का परन्तुक, 28(1), 28(2), 29(1), 29(2), 46, 47(1), 47(2), 50, 61(1), 67(5), 129(3), 129(4), 130(1), 130(2), 130(4), 130(6), 130(7), 139, 142(1),	राज्य कर सहायक आयुक्त राज्य माल एवं सेवा कर अधिकारी
11	61(2), 163	राज्य कर सहायक आयुक्त

  
 (श्रीधर बाबू अददांकी)  
 राज्य कर आयुक्त  
 उत्तराखण्ड।